(ग) पिछले तीन वर्षों में एलोपैथिक और होम्योपैथी के लिए आवंटित की गई धनराशि का वर्ष वार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे) : (क) 30-9-88 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

(1) कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों की संख्या	1265
(2) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की संख्या	103
(3) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालो म पलंगों की संख्या	17901
(4) एलोपैथिक डाक्टरों की संख्या	4338
(5) होम्योपैथिक डाक्टरों की संख्या	13
(6) आयुर्वेदिक पद्धति	85
(7) सिद्धा पद्धति	2
(8) यूनानी पद्धति	1

(ख) और (ग) संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Annual Contribution under E.S.I. Scheme

2689. SHRI ASHWANI KUMAR: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) what is the number of persons in the public and private sectors who have deposited annual contribution under the E.S.I. scheme throughout the country during the last three years, out of these what is the year-wise number of persons during the last three years who have availed of the services of the E.S.I. hospitals/dispensaries as out door patients or who have been admitted in these hospitals/dispensaries; and

(b) whether there is any scheme under Government's consideration so that more and more employees may be benefited by this scheme; if so, what are the details thereof and how many people are likely to be benefited by it?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) The requisite information is as given below:—

Year	Employees covered under the E.S.I Scheme and in whose respect contributions were paid/payable	No. of persons who availed of the services of E.S.I Dispensaries	No. of persons who availed of the services of ESI hospital
1985-86	63.12 lakhs	40,185,872	277,862
1986-87	62.79 lakhs	38,788,112	319,903
1987-88	61.09 lakhs	40,215,287	318,446

(b) The E.S.I. Scheme is being gradually extended to new areas/new sectors of employment area-wise in a phased manner. The phased programme of implementation of the scheme prepared by the E.S.I. Corporation in consultation with the State Governments provides for extension

of the scheme in 67 centres covering 1,18,600 employees during 1988-89 and 59 centres covering about 140,890 employees during 1989-90.

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं

2690. श्री शरद यादव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 से अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की वर्षवार कितनी घटनाएं हुई ;

(ख) ऐसी घटनाएं कहा-कहां हुई तथा उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक घटना में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा यह कार्यवाही किस दाण्डिक उपबन्ध के अधीन की गई ; और

(घ) सरकार ने इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न होने देने के लिए क्या-क्या कदम उठाये है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : विवरण –I संलग्न है (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) इन राज्यों में 1984 से अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों की हुई घटनाओं की कुल संख्या 57399 है। घटना स्थलों के नाम जैसे ब्यौरे देना बहुत विशाल कार्य हो जाएगा। ये ब्यौरे राज्यों द्वारा रखे जाते हैं। फिर भी, इन घटनाओं के श्रेणी-वार ब्यौरे विवरण –ii पर संलग्न हैं। (नीचे देखिए)

(घ) सरकार अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के बारे में अत्यधिक चिन्तित है और इस खतरे को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों के साथ प्रभावी ढंग से निपटने तथा इस महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाने के लिए प्रशासनिक तंत्र को तीव्र करने की दृष्टि से राज्य सरकारों को समय-समय पर एहतियाती, निवारक, दंडात्मक तथा पुनर्वासात्मक उपायों संबंधी व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए है जिसमें अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को तैनात करना शामिल है। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों की वार्षिक रूप से समीक्षा भी की जाती है तथा जहां कहीं आवश्यक हो, मामले को संबंधित राज्य के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया जाता है।

विवरण I

बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में 1984 से गैर-अनुसूचित जातियों के सदस्यों द्वारा अनुसूचित जातियों पर किए गए अत्याचारों की घटनाओं की वर्षवार संख्या

राज्य	1984	1985	1986	1987	1988 (तक)
बिहार .	1845	1452	1633	1271	596 (जून)
गुजरात .	582	750	649	727	519 (सितंबर)
मध्य प्रदेश .	5537	5133	4421	2879	1802 (मई)
राजस्थान .	1648	1437	1481	1465	1169 सितंबर)
उत्तर प्रदेश .	4200	4135	4697	4348	3023 (अगस्त)
	13812	12907	12881	10690	7109